उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-171/2017/1740/92-2-2017-04आ0/2014
लखनऊ :: दिनांक:: 22 सितम्बर, 2017

शुद्धि-पत्र

श्री फखरूद्दीन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-फतेहपुर के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या-2212/92-2-2016-04आ0/2014, दिनांक 19-12-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत निर्गत स्पष्टीकरण को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/2017/879/92-2-2017-04आ0/2014, दिनांक 05-06-2017 के द्वारा "बिना किसी दण्ड" के समाप्त कर दिया गया, किन्तु त्रुटिवश "भविष्य के लिए सचेत करते हुए" उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-06-2017 में उल्लेख नहीं हो पाया। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-06-2017 में "बिना किसी दण्ड" के स्थान पर एतद्द्वारा "भविष्य के लिए सचेत करते हुए" शामिल कर पढ़ा जाय।

2- अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/2017/879/92-2-2017-04आ0/2014, दिनांक 05-06-2017 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-171/2017/1740(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री फखरूद्दीन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-फतेहपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।